(4) प्लेटिनम समूह धातु संबंधी कार्यक्रम–तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर में 9 अन्वेषण।

(5) मोलिब्डेनम कार्यक्रम–तमिलनाडु, केरल, मेघालय में 3 अन्वेषण।

(6) बहु-धातु कार्यक्रम–हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम में 13 अन्वेषण।

(7) हीरा कार्यक्रम—आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 8 अन्वेषण।

(8) पश्चिम बंगाल में उर्वरक खनिज।

(9) उड़ीसा, मणिपुर में लौह समूह के खनिज (क्रोमाइट, मैंगनीज आदि)।

(10) मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में चूना-पत्थर और डोलोमाइट तथा अन्य खनिज।

(II) कोयला और लिग्नाइट

(1) पश्चिम बंगाल और बिहार में दामोदर घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनाएं)

(2) पश्चिम बंगाल और बिहार में राज महलबीर भूमि मास्टर कोयला बेसिन (2 परियोजनाएं)।

(3) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में महानदी घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनाए)।

(4) मध्य प्रदेश में सोन घाटी बेसिन (2 परियोजनाएं)।

(5) महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला बेसिन।

(6) आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला बेसिन।

(7) तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

(8) राजस्थान और गुजरात में कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

Incentives to entrepreneurs in the field of Steel

614. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of STEEL be pleased to state;

(a) whether Government are considering a package of incentives of encourage entrepreneurs in, the field of steel making;

(b) if so, what are the details of the package; and

(c) by when these incentives are likely to be introduced?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) to (c) Some proposals are under consideration of Government, details of which would be available in due course.

Rewession in Steel Industry

615. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the steel industry in the country is going through an unprecedented recession due to dumping by multinational companies;

(b) what are the details of stocks laying with the Steel Authority of India Limited, and other steel companies at the end of 1992; and

(c) what steps Government are taking to off-load the stocks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) No complaint has been filed by any of the main producers of steel against dumping of imported steel with the designated authority under the provisions of Customs Tariff Act, 1975;